(74)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1189–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–3–15 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला धार प्रकरण कमांक 33/अ–13/2013–14.

---

मदन लाल पिता दयाराम
निवासी ग्राम माचकदा
तहसील व जिला धार .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– धर्मेन्द्र सिंह पिता स्व. सरदार सिंह
2– ताराबाई पति स्व. सरदार सिंह
3– मोहनलाल पिता दयाराम
4– राजू पिता परसराम
5– छगनलाल पिता बिहारी
निवासीगण ग्राम माचकदा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

---

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनुराग ब्यास, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माचकदा स्थित प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 246 रकबा 1.214 हेक्टेयर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिस पर आने–जाने के रास्ते को आवेदक सहित अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है । साथ ही अंतरिम रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–13/2013–14 दर्ज कर

दिनांक 27–3–15 को रास्ता खुलवाये जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 व 2 की सर्वे नम्बर 246 की भूमि पर आने–जाने के जिस परम्परागत मार्ग को बतलाया गया था, उक्त मार्ग का तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण न करते हुए आदेश में मनमाना आदेश पारित कर आवेदक की भूमि में से नवीन रास्ता प्रदान किया गया है, जो कि संहिता की धारा 131 एवं 32 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थल निरीक्षण में आवेदक की भूमि सर्वे नम्बर 281 की मेढ़ से बरसाती पानी की निकासी की जो नाली (चेयर) पीढ़ी–दर–पीढ़ी से चली आ रही होना स्पष्ट दृष्टिगोचर होने के बावजूद भी उक्त पुरातन नाली (चेयर) को भरवा कर अनावेदक कमांक 1 व 2 को उनकी भूमि में आने–जाने हेतु नवीन रास्ता अंतरिम तौर पर खुलवाने का आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा उसकी भूमि सर्वे नम्बर 281 के कोई बटांकन नहीं होने बावत् किये गये कथन व प्रस्तुत दस्तावेज पर बिना कोई विचार किये अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा सुवधिानुसार चाहे गये नवीन मार्ग को खुलवाने का आदेश पारित किया गया है, जो अधिकारिता रहित एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये बिना कोई स्थल निरीक्षण टीप अंकित किये मनमाने तौर पर पंचनामा बनाया जाकर आवेदक की भूमि से नवीन रास्ता प्रदान किये जाने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 3–7–2014 से आज दिनांक तक मौके पर दिनांक 3–7–2014 के पूर्व की स्थिति कायम है एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 तब से ही उनकी कृषि भूमि पर आवेदक द्वारा बताये गये परम्परागत रास्ते से ही आवाजाही कर रहे हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1978 आर.एन. 201 एवं 1986 आर.एन. 26 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आने जाने के रूढ़िगत मार्ग को आवेदक सहित अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक सहित अनावेदक 3 लगायत 5 को सूचना दिया गया है एवं विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त अन्तरिम रूप से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः उचित है । इस संबंध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।''

इसी प्रकार 1971 आर.एन. 166 गज्जा तथा अन्य विरूद्ध धूलजी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा–131–अन्तरिम आदेश–अन्तर्भूत शक्ति के अधीन दिया जा सकता है–स्थल निरीक्षण के पश्चात दिया जा सकता है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा अन्तरिम रूप से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । अतः प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह दो माह में प्रकरण का अन्तिम रूप से निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर